उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-14/2023/591/94-स्टा0नि0-2-2023
लखनऊ: दिनांक- 26 मई, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स (एस0आई0ई0पी0एल0) द्वारा सैमसंग डिस्प्ले नोएडा (एस0डी0एन0) भूखण्ड संख्या-बी-1-डी, सेक्टर-81, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पक्ष में निष्पादित पट्टा धृति अधिकार अंतरण विलेख संख्या-684 दिनांक 12-02-2021 हेतु विलेख निष्पादित किये जाने के दिनांक से स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 14/2023/591/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 26 मई, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 26 मई, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियॉ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियॉ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 14/2023/591/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 26 मई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) पदेन जिला निबंधक, उ0प्र0।
10- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
11- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
12- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 14/2023/591/94-S.R.-2-2023 dated 26 May, 2023

Notification

Order

No. 14/2023/591/94-S.R.-2-2023

Lucknow , dated 26 May, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for Transfer Deed of Lease Hold Right No . 684 dated 12-02-2021 executed in favour of Samsung Display Noida (SDN) Plot No. B-1-D, Sector-81, Noida, Gautam Budh Nagar by Samsung India Electronics (SIEPL) from the date of execution of deed under this Notification.

By order,

Leena Johri
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।